आवेदन पत्र

(उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून के कार्यालय उपयोग हेतु किराये के भवन हेतु)

1. आवेदक/भवन स्वामी/फर्म का नाम
2. पिता/पति/संरक्षक का नाम
3. स्थायी पता
4. पत्र व्यवहार का पता
5. दूरभाष संख्या
6. ई–मेल का पता
7. किराये हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले भवन का पता
8. भवन का निर्माण–वर्ष एवं आयु
9. भवन का कुल क्षेत्रफल (वर्गफीट/वर्गमीटर में)
10. पार्किंग एरिया का क्षेत्रफल एवं क्षमता
11. खुले एरिया का क्षेत्रफल
12. भवन का कारपेट एरिया– अंको में
13. भवन का कारपेट एरिया– शब्दों में
14. भवन में कुल निर्मित कमरों की संख्या
15. अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज/अभिलेख–

1.	एम.डी.डी.ए. द्वारा अनुमोदित भवन का मानचित	हाँ/नहीं
2.	भवन कर का बिल	हाँ/नहीं
3.	बिजली का बिल	हाँ/नहीं
4.	पानी का बिल	हाँ/नहीं
5.	कोई विधिक कार्यवाही नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र	हाँ/नहीं
6.	सम्पत्ति पर स्वामित्व/मालिकाना हक होने सम्बन्धी कानूनी दस्तावेज	हाँ/नहीं
7.	भवन की श्रेणी व्यावासायिक होने सम्बन्धी प्रमाण	हाँ/नहीं
8.	भवन स्वामी का आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित छायाप्रति	हाँ/नहीं
9.	भवन स्वामी का पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित छायाप्रति	हाँ/नहीं
10.	जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति (यदि हो)	हाँ/नहीं
11.	विगत वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रति (यदि हो)	हाँ/नहीं
12.	भवन/भूखण्ड सभी प्रकार के वाद रहित होने का प्रमाण–पत्र	हाँ/नहीं

शपथ–पत्र

मैं....................................पुत्र........................शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दिया गया विवरण पूर्णतः सत्य एवं सही है। मैं उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून द्वारा किराये के भवन हेतु निर्धारित की गयी नियम–शर्तों को मानने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर (नाम एवं दिनांक सहित)

किराये के भवन हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तेः–

1. आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों/अभिलेखों की प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य हैं अन्यथा आवदेन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. भवन औद्योगिक/आवासीय क्षेत्र में स्थित नहीं होना चाहिए।
3. भवन/भूखण्ड व्यावासायिक श्रेणी का होना आवश्यक है।

4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए वांछित दस्तावेजों/अभिलेखों को कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जायेगा।
5. भवन में जलापूर्ति, सीवरेज एवं सैप्टिक टैंक की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा बिजली, पानी आदि किसी भी प्रकार की देयता शेष न हों, संयोजन बहाल हों।
6. भवन में निर्बाध रूप से विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए। दर स्वीकृत/अनुबन्ध होने की दशा में 15 किलोवाट के विद्युत संयोजन की व्यवस्था करनी होगी अथवा यथा आवश्यक क्षमता के विद्युत संयोजन करवाने की पूर्ण अनापत्ति प्रदान करनी होगी।
7. भवन में आवश्यकतानुसार कमरे निर्मित होने चाहिए। कम से कम 07 कमरों में अटैच्ड टॉयलेट की व्यवस्था तथा प्रत्येक तल पर महिलाओं और पुरूषों हेतु अलग-अलग रूप से शौचालय की व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
8. भवन शहर के मुख्य मार्ग अथवा मुख्य मार्ग से अधितकम 300 मीटर की दूरी पर लगभग 30 फीट चौडे मार्ग पर स्थित होना चाहिए।
9. भू-तल अथवा कम से कम तल वाले ऐसे भवन, जो कार्यालय हेतु विज्ञप्ति में वर्णित आवश्यकताओं के अनुरूप हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।
10. भवन का ले-आउट एम.डी.डी.ए./साडा द्वारा स्वीकृत होना चाहिए, जिसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
11. भवन के साथ कम से कम 10 चार पहिया एवं 15 दो पहिया वाहन पार्किंग किए जाने हेतु कम से कम 300 वर्गमीटर स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए।
12. बोर्ड के कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन किराये पर लिये जाने हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्पूर्ण अहर्ता पूर्ण करने वाले समस्त भवनों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। तदोपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर किराये के भवन का चयन किया जायेगा।
13. कारपेट एरिया की गणना उत्तराखण्ड में वर्तमान में लागू शासनादेश/नियमों के अनुसार की जायेगी।
14. जी.एस.टी. पंजीकरण होने की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी है। (यदि हो)
15. विगत वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रति संलग्न किया जाना है। (यदि हो)
16. दर स्वीकृत/अनुबन्ध होने पर भवन किराया का भुगतान नियमानुसार आयकर एवं व्यापार कर आदि की कटौती के उपरान्त बजट की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
17. आयकर एवं व्यापार कर कटौती का प्रमाण फार्म 16ए कार्यालय द्वारा प्रदान किया जायेगा।
18. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं डाक में देरी से प्राप्त होने की दशा में बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा अपितु आवेदन स्वयं जिम्मेदार होगा।
19. आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा निरस्त करने का सम्पर्ण अधिकार सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून में निहित है।